लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2604
जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा

शिशु आहार उत्पादों में चीनी की मात्रा

2604. श्री सतगिरी शंकर उलाका:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिशु आहार उत्पादों में चीनी की अधिक मात्रा के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए;

(ख) क्या शिशु उत्पादों में चीनी की मात्रा संबंधी मौजूदा विनियम वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं और यदि हां, तो इसके कड़ाई से लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिशु आहार में चीनी और अन्य हानिकारक एडिटिव पर स्पष्ट लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या चीनी की मात्रा संबंधी मानकों का उल्लंघन करने वाले विनिर्माताओं के लिए दंड या सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया है, जो शिशु आहार और फ़ॉर्मूले की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक निर्धारित करता है। उक्त विनियमन के सामान्य आवश्यकता अध्याय - I 3(6) में शिशु पोषण के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण स्रोत को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है। यह प्रावधान कोडेक्स मानकों और अन्य मान्यता प्राप्त वैश्विक विनियामक मानकों के समान है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 के उप-विनियम 4 में यह निर्धारित किया गया है कि शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थों की लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 और इन विनियमों के तहत प्रदत्त विशिष्ट लेबलिंग आवश्यकताओं के अनुसार होगी, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के उप-विनियम 5(3)(ख) में यह निर्धारित किया गया है कि लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी के लिए फॉर्मेट दिया जाएगा।

एफएसएसएआई ने 19.06.2024 को पैकेबंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर बोल्ड अक्षरों और अपेक्षाकृत बढ़े हुए फ़ॉन्ट आकार में एडेड चीनी, नमक और संतृप्त वसा के बारे में पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खाए जा रहे उत्पाद के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने और स्वस्थ निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है।

एफएसएसएआई (अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण शिशु खाद्य उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और नमूनाकरण करते हैं।

खाद्य व्यवसाय प्रचालकों (एफबीओ) को इन विनियमों के तहत अनिवार्य लेबलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा, जिसमें चीनी सामग्री की मात्रा और विनिर्दिष्ट फूड एडिटिव शामिल हैं।

जिन मामलों में अनुपालन नहीं पाया जाता है, वहां एफएसएस अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंड, कारावास और उत्पाद वापसी आदि के माध्यम से दोषी खाद्य व्यवसाय प्रचालक (एफबीओ) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की जाती है।

****